नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org **Fax No. :** +91-8302542605

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : के. 52, कृष्णगंज, अजमेर-305001

दूरभाष : अध्यक्ष : डॉ. ग्यारसीलाल जाट, सीकर (01572) 245866, मो. 9414038866

महामंत्री : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425

परिपत्र क्रमांक : रुक्टा (रा.)/2011-12/2 **दिनांक: 2 अक्टूबर 2011**

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार!

सर्वप्रथम विजयादशमी व दीपावली के पावन पर्व पर सभी शिक्षकों को हार्दिक मंगलकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गत परिपत्र के पश्चात नये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक के विवरण के साथ यह परिपत्र प्रेषित है :-

1. **प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा श्री राजीव स्वरूप जी का स्वागत** - प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर संगठन ने श्री राजीव स्वरूप जी का सचिवालय में उनसे मिलकर स्वागत किया व आशा व्यक्त की है कि उनके मार्गदर्शन में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा।
2. **प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा से वार्ता** - 29 अगस्त को संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री ने प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा से संगठन की विभिन्न लम्बित मांगों पर वार्ता की व संगठन का मत व्यक्त किया। प्रमुख विषय जिन पर चर्चा की गई- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा के आधार पर महाविद्यालयों में पदनाम परिवर्तन कर असिसटेंट प्रोफेसर व एसोशिएट प्रोफेसर किया जाय व कुल पदों के 10 प्रतिशत प्रोफेसर के पद सृजित किए जायें, नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में शेष रही 40 प्रतिशत एरियर राशि को शीघ्र निर्गत किया जाये, महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के नियमानुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात 1:60 रखा जाय, महाविद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग बढ़ाने पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त संकाय सदस्यों का पदस्थापन किया जाये, अनुदानित महाविद्यालयों में कृषि संकाय के व्याख्याताओं का राजकीय सेवा में समायोजन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 (175) निकाशि/2011 दि0 29-7-2011 के तहत किया जाय, वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों में पात्रता के लिए पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का लाभ प्रदान किया जाय, राज्य एवं राज्य के बाहर आयोजित सेमीनार, सम्मेलनों एवं कार्यशाला में शोध पत्र वाचन हेतु कॉलेज शिक्षकों को विशेष अकादमिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को ही प्रदान किया जाये, सेवानिवृत्त शिक्षकों का पेंशन पुन: निर्धारण नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों के अनुसार किया जाय, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों को नवीन कॅरियर एडवासमेंट योजना का लाभ प्रदान किया जाय। संगठन ने विद्यार्थियों द्वारा

प्राध्यापकों के मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2011 को जारी आदेश का विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की, संगठन का मत है कि इससे शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष व महामंत्री ने रुक्टा (रा.) के 49वें प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की प्रति भी प्रमुख शासन सचिवजी को प्रदान की व लम्बित प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का आग्रह किया। प्रमुख शासन सचिवजी से सभी विषयों पर शीघ्र कार्यवाही करने का मंतव्य व्यक्त किया।

3. **शैक्षिक मंथन की प्रति भेंट** - महामंत्री व अध्यक्ष ने प्रमुख शासन सचिवजी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मासिक पत्रिका 'शैक्षिक मंथन' की एक प्रति भेंट की व बताया कि इस पत्रिका में शिक्षा के विभिन्न आयामों पर समसामयिक लेखों का प्रकाशन किया जाता है।

4. **वरिष्ठ व चयनित वेतनमान में अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ की वसूली अग्रिम आदेशों तक स्थगित** - निदेशालय कॉलेज शिक्षा ने आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) विविध/लेखा/निकाशि/09/250 दिनांक 26.8.2011 के तहत कॉलेज व्याख्याताओं से अग्रिम वेतन वृद्धियों के विरुद्ध की जाने वाली वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित किया है। इससे पूर्व आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) विविध/लेखा/निकाशि/09/1290 दिनांक 2.3.2010 के तहत वरिष्ठ वेतनमान में यू.जी.सी. की अनुशंसाओं के अनुसार पीएच.डी. धारकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धियों के लाभ दिये जाने पर चयनित वेतनमान की स्वीकृति के समय दी गई दो वेतन वृद्धियों की पुनः वसूली के आदेश जारी किये थे क्योंकि इस संबंध में महालेखाकार ने अपने परीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा इन वेतन वृद्धियों को अनियमित मानकर इस राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया था। इस संबंध में प्रकरण राज्य सरकार के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया गया था। वित्त विभाग ने दिनांक 1.1.96 से 5.5.02 की अवधि में ऐसे पीएच. डी. उपाधिधारी व्याख्याता जिन्हें एक बार नियम 11 (a) या 11(d) के अन्तर्गत दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया उन्हें चयनित वेतनमान स्वीकृत करते समय नियम 11(c) के अंतर्गत दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान करने को गलत माना था। इन प्राध्यापकों का दुबारा वेतन स्थिरीकरण कर वसूली योग्य राशि उनके वेतन से काटने की कार्यवाही का आदेश सरकार ने जारी किया था। संगठन ने इसका लगातार विरोध किया, संगठन का स्पष्ट मत है कि अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रोत्साहन (incentive) है न कि दोहरा लाभ। इस विषय के संबंध में मुख्यमंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व निदेशक, कॉलेज शिक्षा से वार्ता की गई। राजस्थान विधानसभा में भी संगठन का पक्ष विधायकों डॉ. फूलचन्दजी भिण्डा, प्रो. वासुदेवजी देवनानी, श्री गुलाबचन्दजी कटारिया आदि ने तर्क सहित रखा। जिसकी परिणति में विधानसभा में उच्च शिक्षामंत्रीजी ने अग्रिम वेतन वृद्धि की पुनः वसूली रोकने की घोषणा की थी।

5. **पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों का नवीन यू.जी.सी. वेतन मान 2009 में वेतन निर्धारण** - निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ने आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) स्था/निकाशि/2010/248, दिनांक 26 अगस्त, 2011 के तहत उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थापित समस्त पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों के बकाया प्रकरणों का नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इन रुके हुए वेतन निर्धारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु संगठन लगातार प्रयत्नशील था।

6. **अनुदानित महाविद्यालयों को वित्तिय वर्ष 2011-12 के लिए प्रोविजनल अनुदान सहायता राशि जारी करने के संबंध में** - राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ 24 ( ) लेखा ए/अनु/निकाशि/बजट/11-12/636-

706 दिनांक 30.8.2011 जारी कर समस्त अनुदानित महाविद्यालयों की प्रबंध समितियों से वित्तिय वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक व्यय/संभावित व्यय के आधार पर देय अनुदान राशि का आंकलन कर शेष माहों के लिए अनुदान सहायता जारी करने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना मांगी है। इसके आधार पर वर्ष 2011-12 के शेष महीनों के लिए अनुदान सहायता जारी की जायेगी। संगठन ने अनुदानित महाविद्यालयों के लिए अनुदान शीघ्र जारी का आग्रह किया है।

7. **संविदा व्याख्याताओं को वेतन भुगतान करने के संबंध में** - निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर ने आदेश क्रमांक एफ 1 (70) स्था/आकाशि/2006/256 दिनांक 16-8-2011 को जारी आदेश के तहत संविदा व्याख्याताओं को 1.7.2010 से 30.4.2011 तक की अवधि का वेतन नवीन अनुबंध की शर्त को बाध्यकारी बनाये बिना भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

8. **स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्यों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत** - राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ14(1)/एफ.डी. (रुल्स)/2009 दिनांक 12.10.2009 के अनुसरण में दिनांक 19.8.2011 को व 8.9.2011 को 88 स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्यों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। इन अधिकारियों के समस्त रिकार्ड निदेशालय में ही रहते हैं अत: निदेशालय से ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होनी थी जो काफी समय से लम्बित थी। संगठन ने इस विषय को उच्च अधिकारियों के समक्ष विभिन्न वार्ताओं में व पत्रों के माध्यम से उठाया था।

9. **अनुदानित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के सदस्यों के राजकीय सेवा में समायोजन हेतु आग्रह** - राज्य सरकार ने 27.7.2011 को आदेश जारी कर राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन राजकीय सेवा में करने के आदेश प्रसारित कर दिये है। इसी क्रम में अनुदानित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के सदस्यों के आदेश भी अपेक्षित है। संगठन ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा से आग्रह किया है कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब आदेश जारी किये जायें।

10. **अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग की बैठक सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग के कार्यकर्ताओं की बैठक 21 अगस्त 2011 को शिक्षक सदन नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। 9 राज्यों के 51 कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। प्रथम सत्र में बैठक के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में संगठन के विस्तार में आने वाली बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया गया जबकि तृतीय सत्र में शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन किया गया। अंतिम सत्र में समस्याओं के समाधान के लिए सम्भागियों ने सुझाव दिये। राजस्थान से प्रो. जे. पी. सिंघल, डॉ. ग्यारसीलाल जाट, प्रो. नंद किशोर पाण्डेय, डॉ. गंगाश्याम गुर्जर व डॉ. हीराराम ने भाग लिया।

11. **शैक्षिक महासंघ का अभ्यास वर्ग 4 नवम्बर को दिल्ली में** - संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण समय-समय पर होना एक नियमित परम्परा है। इससे एक प्रेरक वातावरण का निर्माण होता है व विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीक के उपयोग का भी ज्ञान होता है। इसी क्रम में 4 नवम्बर को माता लीलावती सरस्वती बालिका मंदिर परिसर, एस ब्लॉक हरिनगर, नई दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अभ्यास वर्ग आयोजित होगा।

12. **विधायक श्री ज्ञानदेव जी आहुजा की शुभकामनाएं** - संगठन द्वारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं उनके संबंध में की गयी कार्यवाही पर श्री आहूजा जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही संगठन की निरन्तर सफलता की कामना की है। एतदर्थ संगठन की ओर से आभार।

13. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध निदेशकों व प्रमुख शोधकर्त्ताओं के संबंध में अनुरोध** - राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शोध निदेशक व प्रमुख शोधकर्त्ता, शोधार्थियों को शोध निर्देशन प्रदान करते हैं, इसमें से अधिकांश के पास यू.जी.सी. से मेजर व माइनर शोध प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हैं। पिछली तबादला सूचियों में कतिपय शोधकर्ताओं के तबादले ऐसे महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा किये गए हैं जहाँ या तो शोध सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या वह महाविद्यालय यू.जी.सी. को मान्यता सूची में ही नहीं है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक ओर जहाँ यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. उच्च शिक्षा के विकास हेतु शोधकार्य की आवश्यकता को प्रमुखता से प्रोत्साहन दे रही है, वही राज्य सरकार के ऐसे कदम राज्य की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिगामी ही सिद्ध हो रहे हैं। संगठन ने अध्यक्ष यू.जी.सी. से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि ऐसे शोध निदेशकों या प्रमुख शोधकर्ताओं के यथासंभव तबादले नहीं किये जाय ताकि शोध कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

14. **प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर के स्थायीकरण आदेश के संबंध में कुलाधिपति से आग्रह** - कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा दिनांक 22 व 23 अप्रेल 2008 को प्रोफेसर-समाज शास्त्र, वाणिज्य व प्रबन्धन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व सहायक प्रोफेसर-समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य व प्रबन्धन तथा रसायन शास्त्र हेतु साक्षात्कार आयोजित किये थे। चयनित शिक्षकों ने समय पर कार्य भार ग्रहण कर लिया था। नियमानुसार इनके स्थायीकरण के आदेश दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर जारी किये जाने चाहिए थे। परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनके स्थायीकरण के आदेश अभी तक जारी नहीं किये है, जिस कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह नैसर्गिक न्याय के भी विपरीत है। अत: संगठन ने कुलाधिपति जी से आग्रह किया है कि इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराने की कृपा करावें।

15. **सेवारत प्राध्यापकों को पीएच. डी. उपाधि हेतु कोर्स वर्क से मुक्त करने का आग्रह** - यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार जुलाई 2009 के बाद समस्त शोधार्थियों को पीएच. डी. उपाधि हेतु शोध करने से पूर्व 6 माह का कोर्सवर्क करना होगा। यह कोर्स नियमित विद्यार्थी के रूप में करना होगा। संगठन ने अध्यक्ष यू.जी. सी. से अनुरोध किया है कि सेवारत प्राध्यापकों को इस कोर्स वर्क से मुक्त किया जाय।

16. **अधिवेशन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित** - रुक्टा (रा) का अधिवेशन नियमित रूप से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता रहा है। अधिवेशन राज्य भर के शिक्षकों को अपनी सामूहिक समस्याओं पर चिन्तन का न केवल मंच उपलब्ध करवाता है वरन् संगठन को निरन्तर जीवंतता प्रदान करता है। इस वर्ष अधिवेशन माह नवम्बर-दिसम्बर में होना प्रस्तावित है। अधिवेशन अपने यहाँ करवाने की इच्छुक इकाईयों से आग्रह है कि अपनी इकाईयों की बैठक में विधिवत् प्रस्ताव पारित कराकर महामंत्री को भिजवाएं।

17. **सदस्यता** - 12 सदस्यों की सदस्यता प्राप्त होने से गत सत्र 2010-11 की सदस्यता 2385 हो गई है। अब तक इस सत्र के सदस्यता 1050 हुई है। इकाई सचिवों व सक्रिय कार्यकर्त्ताओं से आग्रह है कि एकत्रित सदस्यता राशि शीघ्र महामंत्री को भेजें।

भवदीय

मधुरमोहन रंगा

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

के. 52
कृष्ण गंज, अजमेर-305 001 (राज.)